तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / कोलो. / 2004 / 5187 / भीलवाड़ा** **डालू व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य** **उपस्थित :–** श्री ईश्वर देवड़ा, अभिभाषक प्रार्थी अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, **दिनांक : 16 फरवरी, 2021** **निर्णय** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–20(2) राजस्थान उपनिवेशन (मिडियम एण्ड माईनर इररिगेशन प्रोजेक्ट गवर्नमेन्ट लेण्ड्स अलाटमेन्ट) नियम–1968 के तहत विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 6–10–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने विद्वान अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ के समक्ष एक आवेदन पत्र विरूद्ध अप्रार्थीया अन्तर्गत नियम–17–ए लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन नियम–1968 के तहत प्रस्तुत कर निवदन किया कि ग्राम बागीद में स्थित सिवायचक आराजी खसरा नम्बर–444 रकबा 4 बीघा भूमि गत 20 वर्षो पूर्व से प्रार्थीगण के कब्जे में होकर मौके पर उनके बाड़े विद्यमान हैं जिनके चारों ओर पत्थरों की कोट बना रखी है। उक्त आराजी में कई देसी एवं अंग्रेजी बम्बूल खड़े हैं तथा उक्त भूमि गांव के समीप होकर कृषि उपयोग की नहीं है। फिर भी ऐसी अनुपलब्ध कृषि परपज से अनुपयोगी भूमि को सम्पूर्ण तथ्यों को छिपाकर एवं पटवारी हल्का से मिली भगत कर तैयार कराई रिपोर्ट के आधार पर आबंटन कराया है जो फ्राड एवं मिस–रिप्रजेन्टेशन में शुमार होता है। इसी प्रकार आवंटियां ने कभी भी मौके पर काश्त नहीं की और ना ही कभी ग्राम बागीद में रही है वरन् वह आबंटन के पूर्व ही अन्यत्र नाते चली गई थी। विद्वान अपर जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा ने प्रार्थीगण द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / कोलो. / 2004 / 5187 / भीलवाड़ा</u>** **डालू व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर्ड कर विपक्षीया को जरिये सम्मन तलब किया। जिस पर विपक्षीया के सम्मन तामील नहीं होने एवं तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट आने के बाद कि विपक्षीया ग्राम बागीद में नहीं रहती है। उक्त रिपोर्ट आने के उपरान्त न्यायालय ने विपक्षिया का सम्मन दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से तामील करवाया, इसके बावजूद भी उसके न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 11-11-2002 के द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विपक्षिया के आबंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध विपक्षिया ने एक मियाद बाहर अपील विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अवैधानिक रूप से अपने निर्णय दिनांक 6-10-2004 के द्वारा स्वीकार कर ली। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। 4- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय, नियम एवं कार्यवाही मिसल के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर दिया कि विद्वान अपर कलेक्टर, भीलवाड़ा के आदेश के विरूद्ध कानून में अपील प्रस्तुत करने की समयावधि 30 दिवस की प्रावधित है। मौजूदा प्रकरण में विपक्षिया द्वारा अपील लगभग 11 माह के उपरान्त प्रस्तत की है, जो पूर्णतया मियाद बाहर थी। न्यायालय का दायित्व है कि सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को निर्णीत करें अर्थात मियाद के बिन्दु को निर्धारित किये बिना अपील को गुणावगुण पर निर्णीत कर दिया था, जो अविधिक पूर्ण होकर क्षेत्राधिकार के विपरीत है। इस आधार पर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ अपील न्यायालय ने नियम 17-ए के प्रावधानों को दरकिनार करते हुये जो निर्णय पारित किया है, वह अविधिक होने से	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / कोलो. / 2004 / 5187 / भीलवाड़ा</u>** **डालू व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 6-10-2004 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। अपने तर्को के समर्थन में उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये :- (1) आरबीजे-2009 पेज-315 (2) आरआरटी-2009(11) पेज-797 (3) आरआरटी-2012(1) पेज-101 (4) आरआरटी-2015(2) पेज-1425 5- हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया तथा न्यायिक दृष्टान्तों का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। 6- पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 11-11-2002 के विरूद्ध एक अपील दिनांक 23-10-2003 को विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा ने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 6-10-2004 को कर दिया, किन्तु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-5 मियाद अधिनियम का निर्णय नहीं किया। इसलिये उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है जो इसी बिन्दु के आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। 7- निगराकार के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2012(1) आरआरटी पेज-101 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा-5 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निर्णीत करना चाहिये था, लेकिन उन्होंने बिना मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये ही गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार यह एक गंभीर त्रुटि है और इसी के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / कोलो. / 2004 / 5187 / भीलवाड़ा</u>** **डालू व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त स्थगन जारी करने से पूर्व मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णीत करने के संबंध में हैं जो इस प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। 8- जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों से स्पष्ट है कि अप्रार्थिया का कब्जा कभी भी विवादित भूमि पर नहीं रहा। विवादित भूमि अभी तक बंजर पड़ी हुई है जिस पर उसका कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अंकित किया है कि विवादित भूमि पर निगराकार के कब्जे के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-183(बी) के विरूद्ध कार्यवाही की जाये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया गया। अप्रार्थिया ने अपनी अपील में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया जो विधि के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। 9- अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा का निर्णय दिनांक 6-10-2004 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवड़ा का निर्णय दिनांक 11-11-2002 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / कोलो. / 2004 / 5187 / भीलवाड़ा</u>** **डालू व अन्य बनाम श्रीमती नन्दू**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए